



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102026-276798
CG-DL-E-05102026-276798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5237]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2026/आश्विन 13, 1948

No. 5237]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5447(अ).— केंद्रीय सरकार, विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 31 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा, अर्थात्:-

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची I में, पैरा 4 में, उप-पैरा (2) में, खंड (ख) में, उप-खंड (अ) में, मद (viii) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. एल-13060/03/2026-आरई-VII (कंप्यूटर सं. 396402)]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2026

S.O. 5447(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 31 of the Viksit Bharat - Guarantee for Rozgar and Aajeevika Mission (Gramin): VB- G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following amendment in the SCHEDULE I to the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the SCHEDULE I to the said Act in paragraph 4, in sub-paragraph (2), in clause (b), in sub-clause (A), in item (viii), for the words “Central Government”, the words “Central Government and State Government” shall be substituted.

[F. No. L-13060/03/2026-RE-VII (Computer No. 396402)]

ROHINI R. BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.